मध्यप्रदेश शासन
विमानन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक–एफ. 4–2/2007/पैतालीस **भोपाल, दिनांक 5.2.2007**

1. संक्षिप्त नामः– यह नियम मध्यप्रदेश के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए एयर होस्टेज एवं फ्लाईट स्टीवर्ड छात्रवृत्ति नियम, 2007 कहलायेगें तथा यह नियम जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगें।

2. क्षेत्रः– आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों को एयरहोस्टेज एवं फ्लाईट स्टीवर्ड प्रशिक्षण के लिए राज्य शासन छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। प्रशिक्षण मध्यप्रदेश में स्थित निजी प्रशिक्षण संस्थाओं में दिया जावेगा।

3. पात्रता की शर्तेः– आरक्षित वर्ग के केवल वे ही उममीदवार इस छात्रवृत्ति के पात्र होंगें जोः–
   - मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों,
   - आरक्षित वर्ग के ऐसे उम्मीदवार जो वर्ष की 01 जनवरी को 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तथा अविवाहित हों, इसक लिए पात्र होंगे। अधिकतम आयु सीमा 24 वर्ष होगी।
   - महिला उम्मीदवार की न्यूनतम उॅचाई 5 फिट एवं पुरूष उम्मीदवार की न्यूनतम उॅचाई 5.5 फिट हो।
   - ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 10+2 हायर सेकण्ड्री अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो या 12वीं में अध्ययनरत हो।
   - ऐसे उम्मीदवार जिनके माता–पिता/माता पिता के जीवित न होने की दशा में अभिभावक की वार्षिक कर योग्य आय रू. 5.00 लाख (पॉच लाख) से अधिक नहीं होनी चाहिए

4. राज्य शासन का अनुमोदनः– संबंधित उम्मीदवारों का चयन संबंधित प्रशिक्षण संस्था के माध्यम से किया जायेगा। प्रशिक्षण संस्था द्वारा अनुशंसित सूची राज्य शासन को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जावेगी तथा राज्य शासन द्वारा छात्रवृत्ति जारी की जा सकेगी एवं चयनित उम्मीदवार के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण–पत्र तथा मूल निवासी प्रमाण–पत्र की जॉच संबंधित जिले के कलेक्टर से कराई जायेगी।

5. छात्रवृत्तियॉः– प्रतिवर्ष आरक्षित वर्ग (अनुसूचि जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग) के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण शुल्क, आवास, भोजन एवं पुस्तकों हेतु राज्य शासन द्वारा छात्रवृत्ति दी जावेगी।

6. छात्रवृत्ति के चार्जेज का भुगतानः– राज्य शासन द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार के प्रशिक्षण चार्जेज संबंधित संस्था द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर भुगतान किये जायेंगें।

7. छात्रवृत्ति का व्यपवर्तनः– उम्मीदवार प्रशिक्षण की अवधि में संतोषप्रद रहेगें। उम्मीदवार के असंतोषप्रद प्रदर्शन अथवा अन्य कारणों से राज्य शासन द्वारा छात्रवृत्ति समाप्त की जा सकेगी और राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।

8. चिकित्सीय जॉचः– राज्य शासन की छात्रवृत्ति के लिए चयनित उम्मीदवार की शारीरिक उपयुक्तता की जॉच संबंधित संस्था द्वारा कराई जायेगी। इस हेतु आवश्यक फीस का भुगतान शासन द्वारा किया जावेगा।

9. दुर्घटना के लिए शासन की जिम्मेदारी नहीं होगीः– राज्य शासन किसी भी रूप में प्रशिक्षण या अन्य किसी कारण से प्रशिक्षणार्थी के दुर्घटनाग्रस्त होने/हुई हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इस हानि के लिए संबंधित संस्था एवं प्रशिक्षणार्थी की जवाबदारी होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा
आदेशानुसार

(इकबाल सिंह बैंस)
सचिव, म.प्र. शासन
विमानन विभाग